

बिहार सरकार

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक 06 जुलाई, 2016

पत्र संख्या-1/एल1-10-25/2015 गृ0आ0 5243 /श्री रत्न संजय कटियार, भा0पु0से0 (1998), तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना को स्वयं की चिकित्सा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम-12 एवं 13 के अन्तर्गत दिनांक 10.11.2015 से 07.12.2015 तक कुल 28 (अठाईस) दिनों का रूपान्तरित अवकाश (28x2 =56 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-25/2015 गृ0आ0 5243 /पटना, दिनांक 06 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-25/2015 गृ0आ0 5243 /पटना, दिनांक 06 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-25/2015 गृ0आ0 5243 /पटना, दिनांक 06 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री रत्न संजय कटियार, भा0पु0से0 (1998), तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।